न्यायालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

प्र0क0 / 14 / 2016–17 / अ–82 / बधरेटा /

मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास)
रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (D.R.D.O)
रक्षा मंत्रालय, P-1, बिल्डिंग, मेटकॉफ हॉउस,
दिल्ली, 110 054

.... आवेदक

विरुद्ध

सरदार पुत्र मुरलीधर जाटव,
निवासी बधरेटा, बगैरह

.... अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 20.06.2017)

1– आवेदक, मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास), रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन, दिल्ली, द्वारा पत्र दिनांक 20.5.2016 से ग्राम बधरेटा, तहसील– कैलारस, मे भूमि अधिग्रहण करने का लेख किया भूमि का ब्योरा इस प्रकार है:–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
1448 / 1 / 4	1.929	26.118
1448 / 1 / क / 1	5.329	
1448 / 1 / क / 2	7.994	
1448 / 1 / क / 3	3.500	
1448 / 1 / मिन2	7.366	
1450	3.344	3.344
1468	4.912	4.912
कुल		34.374

2– पुनःपत्र दिनांक 02.06.2016 से संशोधन करते हुये भूमि का निम्न प्रकार से अधिग्रहण किये जाने का उल्लेख किया है:–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
1448/1/4	1.929	
1448/1/क/1	5.329	
1448/1/क/2	7.994	18.509
1448/1/क/3	3.500	
1448/1/मिन2	7.366	
1450	3.344	3.344
1468	4.912	4.912
कुल		26.765

3– म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, के पत्र कमांक/16/570/2016/सात/शा. 2ए, भोपाल, दिनांक 26.10.2016 से ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' (2013 का 30) जिसे आगे ''भू–अर्जन अधिनियम 2013'' कहा जावेगा, इसकी धारा 40 के तहत भू–अर्जन किये जाने का उल्लेख किया गया है। तहसीलदार– कैलारस, द्वारा स्थल पर जांच की गई। जांच उपरान्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क0 5094 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई, भूमि का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
1448/1/ख	2.665	
1448/1/क/1	5.300	
1448/1/क/2	7.044	
1448/1/क/3	3.000	
1448/1/मिन2	0.50	
1450	1.672	
1450	1.672	
1468	4.912	
कुल	26.765	26.765

20/6/2017

4— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत पत्र कमांक 5094 दिनांक 11.11.2016 से प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, जो म0प्र0 राजपत्र भाग—01 के पृष्ठ क0 4714—4715 पर प्रकाशित हुई। दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान एक्सप्रेस'' तथा ''अजय भारत'' मे दिनांक 12.11.2016 को प्रकाशित हुई। कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एंव ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर एंव ग्राम बधरेटा की ग्राम चौपाल पर दिनांक 14.11.2016 को चस्पा की गई। नियत समय सीमा की अंतिम तिथि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त धारा 19 की कार्यवाही की गई।

5— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 को शामिल करते हुये धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू—अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र कमांक 6357 दिनांक 23.12.2016 को जारी की गई, जो कि म0प्र0 राजपत्र मे भाग—1, दिनांक 13.01.2017 के पृष्ठ क0 117 पर प्रकाशित हुई। यह अधिसूचना ग्राम पंचायत बधरेटा के सूचना पटल, कलेक्टर व तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर दिनांक 16.01.2017 को प्रकाशित की गई

6— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये, जो कलेक्टर मुरैना के वेबपोर्टल पर दिनांक 18.04.2017 को अपलोड किया गया। ग्राम पंचायत तहसील कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर 18.4.2017 को चस्पा की गई। भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(2) के तहत भू—स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये। जिससे दिनांक 16.05.2017 तक भूमि पर के स्वत्व, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने का लेख किया गया। नियत अवधि के अंतिम दिनांक तक कोई भी दावा—आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

7— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिये जिला पंजीयक से धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 9.12.2016 के पूर्व के तीन बर्षो मे विकय पत्रों तथा बर्ष 2016—17 की गाइड लाइन की जानकारी जिला पंजीयक कार्यालय से ली गई। गाइड लाइन की दर अधिक होने से सिंचित व असिंचित भूमि की दर 15.00 लाख रु0 प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई।

भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम बधरेटा की भूमि अर्ज़न के लिये निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:—

(एक) अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन:—

(अ) सिंचित भूमि 0.50 हे0 की रु0 15,00,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 7,50,000.00
(ब) असिंचित भूमि 26.265 हे0 की रु0 15,00,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 3,93,97,500.00
भूमि की कुल राशि—	रु0 4,01,47,500.00

20/6/2017

(दो) परिसम्पत्तिः–

(स) कुआं / बोर / ट्यूबवेल	रु0 निरंक
(द) निर्माण भवन / बाउन्ड्री	रु0 निरंक
(इ) वृक्ष आदि	रु0 निरंक
भूमि एंव वृक्ष व परिसम्पतियों की कुल राशि–	रु0 4,01,47,500.00
शासन के परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2014 अनुसार गुणांक	01
भूमि एंव परिसम्पतियों की कुल राशि–	रु0 4.01.47,500.00
(तीन) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धार 30 (3) के तहत संगणित राशि, धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 11.11.2016 से अवार्ड दिनांक 20.06.2017 तक 07 माह 10 दिवस के लिये संगणित राशि–	रु0 29,42,317.00
(चार) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के तहत तोषण राशि (उपरोक्त बिन्दु–दो अनुसार)	रु0 4,01,47,500.00
कुल राशि–	रु0 8,32,37,317.00
प्रशासनिक शुल्क 05%	रु0 41,61,866.00
कुल अवार्ड राशि–	**रु0 8,73,99,183.00**

(कुल अवार्ड राशि अक्षरी आठ करोड तिहत्तर लाख निन्यानवे हजार एक सौ तिरासी रु0 मात्र)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि प्रथक से परिशिष्ट A एंव B संलग्न हे जो अधिनिर्णय का हिस्सा होगा।

भू अर्जन अधिकारी
जिला मुरैना म0प्र0

20/6/2017
कलेक्टर
जिला मुरैना म0प्र0